राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4008–एक / 2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2012 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 28 / निगरानी / 2008–09.

श्रीमती विमला बाई पत्नी बसंत पटैल
निवासी सेमरी खुर्द
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद .....आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती रेखा रावत पुत्री नवल किशोर
पत्नी राजेन्द्र कुमार रावत
निवासी पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद मार्फत मुख्त्यार
सतीश कुमार पटैल आत्मज नवल किशोर पटैल
माता मन्दिर के सामने, नेशनल हाईवे पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद .....अनावेदिका

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 10 जुलाई, 2014)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, इटारसी, जिला होशंगाबाद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की ग्राम इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 431/1क रकबा 0.567 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 436 रकबा 1.821 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 438 रकबा 0.243

हेक्टेयर, सर्वे कमांक 439 रकबा 0.105 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 440 रकबा 0.271 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 441 रकबा 1.076 हेक्टेयर पर वर्तमान में अनावेदिका रेखाबाई का नाम दर्ज है, जबकि सम्पूर्ण संपत्ति आवेदिका के कब्जे में मालिक, स्वामी की हैसियत से 12 वर्ष से भी अधिक समय से चली आ रही है । आवेदिका द्वारा पिछले वर्ष सोयाबीन की फसल बोई गई थी, और इस वर्ष गेहूं की फसल बोने की तैयारी है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जेधारी की हैसियत से राजस्व अभिलेखों में उसका का नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका की ओर से अवधि विधान की धारा 3 सहपठित संहिता की धारा 116 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि संहिता की धारा 116 (1) के अंतर्गत 1 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। चूंकि आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र 31–10–2005 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदन पत्र कृषि वर्ष 2004–05 में 30 जून 2005 तक 1 साल के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अतः आवेदिका द्वारा लगभग 4 माह विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण इसी आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–2–2006 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया एवं प्रकरण में स्थल जांच हेतु दिनांक 18–2–2006 की नियत की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा निगरानी कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–3–2006 को आदेश पारित कर निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 28–8–2012 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई, और तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किए गए । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में वैधानिक भूल की गई है कि आवेदिका की ओर से 12 वर्ष की प्रविष्टि संशोधित करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तव में आवेदिका की ओर से 1 वर्ष की प्रविष्टि संशोधित करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि तहसीलदार के समक्ष प्रचलन योग्य था । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा आवेदिका की

ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार नहीं कर आदेश पारित करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त के समक्ष आवेदिका की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर आयुक्त द्वारा विचार नहीं किया गया है, जबकि आवेदिका की ओर से लिखित तर्क में यह आधार उठाया गया था कि उनको यह देखना चाहिए कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में क्या अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है, परन्तु उनके द्वारा अपने आदेश मे कलेक्टर के आदेश में क्या अवैधानिकता हुई है, यह नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया था, और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अवधि विधान की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष की प्रविष्टि संशोधित की जाना है, और इसके लिए आवेदन पत्र समय–सीमा में है, परन्तु आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किए कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय एवं कलेक्टर द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए थे, जिनमें हस्तक्षेप करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 37, 2001 आर.एन. 165 एवं 2005 आर.एन. 168 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदिका की ओर से केवल यही कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर 12 वर्ष से कब्जा चले आने के आधार पर कब्जाधारी की हैसियत से नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका द्वारा अवधि विधान की धारा 3 सहपठित संहिता की धारा 116 (1) के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें आपतित ली गई है कि आवेदिका द्वारा दिनांक 31–10–2005 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि कृषि वर्ष 2004–05 में जून 2005 तक एक साल के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । इस प्रकार आवेदिका द्वारा 4 माह विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण संहिता की धारा 116 (1) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा भी दिनांक 16–2–2006 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष

निकालते हुए कि कृषि वर्ष 2004–05, 1 जुलाई 2004 से प्रारंभ होता है तथा 30 जून 2005 को समाप्त होता है, अतः आवेदिका द्वारा कृषि वर्ष 2004–05 की अवधि 30 जून 2005 को समाप्त होने के पश्चात से 1 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि समय–सीमा में है, अनावेदिका की आपत्ति निरस्त की गई है । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा भी अपने आदेश में इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि प्रविष्टि 1 वर्ष के लिए की जाना है, जो कि संहिता की धारा 116 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत समय–सीमा में है, अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार की गई । आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदिका की ओर से संहिता की धारा 114, 115 एवं 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही की जाती है, अतः उक्त धारा के अंतर्गत आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है । आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में 12 वर्ष से कब्जा होने के कारण खसरे में सुधार किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । विवादित प्रविष्टि पहले जिस वर्ष के खसरे, भू–अभिलेख में की गई हो उस वर्ष की तैयारी कागजात से एक वर्ष के अंदर आवेदन संहिता की धारा 116 में किया जायेगा, खसरा पांचसाला में जिस वर्ष तथाकथित प्रविष्टि की गई है, वही प्रविष्टि यदि हर वर्ष नकल होती चली गई है तो म्याद आदि पर खसरे या भू–अभिलेख के वर्ष से नहीं गिनी जायेगी, बल्कि वह विवादित प्रविष्टि पहले पहल प्रारंभ में जिस वर्ष से हुई है, उसी वर्ष से समय–सीमा की गणना की जायेगी । वर्तमान प्रकरण में 12 वर्ष से चली आ रही कब्जे की प्रविष्टि को सुधार करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र एक वर्ष के लिए समय–सीमा में मान्य करना संहिता की धारा 116 प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किए जाकर निगरानी स्वीकार की गई । उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कब्जा दर्ज किए जाने की नई प्रविष्टि से संबंधित है अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित करने के संबंध मे है, क्योंकि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा कब्जा दर्ज करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने आदेशों में निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित करने के संबंधी निकाले गये हैं । तहसील न्यायालय के प्रकरण में केवल वर्ष 2004 एवं 2005 का

खसरा संलग्न हैं, इसके पूर्व के खसरे प्रकरण में संलग्न नहीं है, इससे यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि वास्तव में प्रकरण कब्जा दर्ज करने संबंधी नई प्रविष्टि से संबंधित है अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित करने के संबंध में है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि सर्वप्रथम यह अभिनिर्धारित किया जाये कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण कब्जा दर्ज करने किए जाने की नई प्रविष्टि किए जाने के संबंध में है अथवा प्रविष्टि संशोधित करने के संबंध में है, तत्पश्चात प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये, क्योंकि संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है, जबकि उक्त धाराओं के अंतर्गत कब्जा दर्ज करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है । अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उनको इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि सर्वप्रथम यह अभिनिर्धारित किया जाये कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जा दर्ज करने से संबंधित है अथवा राजस्व अभिलेखों में हुए त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित करने के संबंध में है, तत्पश्चात उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर अंतिम निराकरण किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 4009–एक/2012, निगरानी 4010–एक/2012 निगरानी 4011–एक/2012 निगरानी 4012–एक/2012 निगरानी 4013–एक/2012 निगरानी 4014–एक/2012 निगरानी 4015–एक/2012 निगरानी 4016–एक/2012 एवं निगरानी 4017–एक/2012 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर